बीज आलू की आपूर्ति से संबंधित आवश्यक सूचना

1. जिन किसान बन्धुओं ने बीज आवंटन हेतु इस कार्यालय में दिनॉक 4-21 सितम्बर, 2020 तक चाहे किसी भी माध्यम से आवेदन जमा किये है, के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि पहले भारत सरकार/विभाग द्वारा आवंटित बीज की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।
2. तत्पष्चात् सर्वप्रथम जिन किसान बन्धुओं ने 04 सितम्बर, 2020 में चाहे किसी भी माध्यम से आवेदन जमा किये है, पहले उन्हें बीज का आवंटन एवं आपूर्ति की जायेगी। जिसमें 4-5 दिन लग सकते है। तत्पश्चात तिथि के क्रमानुसार (दिनॉक 5,6,7........21 तक प्राप्त होने वाले आवेदनो पर बीज की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जायेगा।
3. जिन किसान बन्धुओं ने 04 सितम्बर, 2020 को आवेदन जमा किये है, वे अपने आवंटन की सूचना दिनॉक 5-6 अक्टूबर, 2020 तक फोन न0 0121-2575497 पर स्वयं ही प्राप्त कर सकते है। उन्हें किसी भी अन्य माध्यम से सूचित नहीं किया जायेगा।
4. दिनॉक 04 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुए आवेदनों पर, किसान बन्धुओं को आवंटित होने वाली प्रजाति का नाम, मात्रा एवं उनके आवेदन क्र0स0 की सूचना दी जायेगी, जिसके आधार पर उन्हें आन-लाईन संस्थान के खाते में अगले तीन कार्य दिवस के अन्दर पैसा जमा कराना होगा। समय पर धन जमा नहीं करवाने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. आवंटित बीज की रसीद कटवाने के समय संबंधित किसान बन्धु को बताया गया आवेदन का क्र0स0, आई.डी. एवं पैसा जमा करने का ब्यौरा साथ में लाना होगा। उसी के आधार पर कार्रवाही की जायेगी।
6. रसीद कटवाते समय एवं बीज आलू की आपूर्ति के दौरान कोविड-19 से संबंधित जिला प्रषासन एवं सरकार द्वारा जारी दिषा-निर्देशों (मास्क लगाना, दूरी बनाये रखना एवं हाथों को सेनेटाइज करना आदि) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
7. बीज आवंटन/आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में संस्थान के निदेषक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा, जिसे सभी किसानों एवं बीज उत्पादन एजेन्सियों को मानना होगा।
8. सभी किसान बन्धुओं से सहयोग की अपील की जाती है।